न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 85/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी

दायरा दिनांकः 26.7.2017

अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. बृजगोपाल आत्मज बाबूलाल जाति छीपा निवासी केशोरायपाटन तहसील के0 पाटन जिला बूंदी (राज0)।
2. भारत आत्मज बाबूलाल जाति छीपा निवासी केशोरायपाटन तहसील के0 पाटन जिला बूंदी (राज0)।
3. विष्णु आत्मज बाबूलाल जाति छीपा निवासी केशोरायपाटन तहसील के0 पाटन जिला बूंदी (राज0)।
4. आशीष आत्मज बाबूलाल जाति छीपा निवासी केशोरायपाटन तहसील के0 पाटन जिला बूंदी (राज0)।
5. प्रवेश आत्मज बाबूलाल जाति छीपा निवासी केशोरायपाटन तहसील के0 पाटन जिला बूंदी (राज0)।
6. अनिता पुत्री बाबूलाल जाति छीपा निवासी केशोरायपाटन तहसील के0 पाटन जिला बूंदी (राज0)।
7. मीनाक्षी पुत्री बाबूलाल जाति छीपा निवासी केशोरायपाटन तहसील के0 पाटन जिला बूंदी (राज0)।
8. कांति बाई विधवा बाबूलाल जाति छीपा निवासी केशोरायपाटन तहसील के0 पाटन जिला बूंदी (राज0)।

...अपीलाट्स

बनाम

1 संगीता उर्फ ज्योति पत्नि ललितकिशोर नि0 मकान नं0 2–न–13 विज्ञाननगर कोटा जिला कोटा (राज0)।

2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बूंदी जिला बूंदी (राज0)।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री विनय कुमार सक्सेना अभिभाषक अपीलाट्स
श्री तेजमल जेन अभिभाषक रेस्पोडेन्टस क्रम–1

निर्णय

दिनांक 1.2.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार बूंदी न्याय आपके द्वार लोक अदालत शिविर ख्यावदा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण द्वारा प्रकरण सं0 16/17 बउनवान बृजगोपाल बनाम संगीता मे पारित निर्णय दिनांक 4.7.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन आदेश) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि बाबूलाल एवं मदनलाल पि0 ओंकार जाति छीपा के ग्राम ख्यावदा मे स्थित आराजी खसरा सं0 163 रकबा 0.09 बीघा, ख0 सं0 449 रकबा 6.00 बीघा, ख0 सं0 581 रकबा 9.00 बीघा एवं ख0 सं0 781/587 रकबा 1 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा का फोती नामान्तरकरण अपीलांट्स वारिसान होने से उनके नाम खोलने एवं रेस्पो0 क्रम–1 ने स्व0 मदनलाल की पुत्री होना बताकर नामा0 अपने नाम खोलने हेतु प्रस्तुत किया। तहसीलदार बूंदी ने लोक अदालत शिविर ख्यावदा "न्याय आपके द्वार 2017" केम्प मे दिनांक 4.7.2017 को रेस्पो0 क्रम–1 के पक्ष मे मदनलाल के स्थान पर उक्त भूमि का नामान्तरकरण खोलने का आदेश पारित किया जिससे अप्रसन्न होकर

अपीलांट्स द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत प्रथम अपील इस न्यायालय मे इस आशय की पेश की गई कि तहसीलदार द्वारा जेरअपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई का अवसर नही दिया जबकि अपीलांट्स ने विवादित आराजी का इन्तकाल खोलने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ था तथा अपीलांट ने पूर्व मे भी एक प्रार्थना पत्र संगीता उर्फ ज्योति मदनलाल की पुत्री नही होने और एक वाद उपखण्ड अधिकारी बूंदी के यहां अधिकार घोषणा एंव इन्द्राज दुरूस्ती का प्रस्तुत किया हुआ होने बावत पेश किया हुआ था किन्तु तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र पर कोई सुनवाई नही कर एक तरफा आदेश पारित कर दिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। मदनलाल जी के कोई संतान नही थी मदनलाल की पत्नी लाडबाई थी। संगीता उर्फ ज्योति के पिता कैलाशी बाई के पूर्व पति थें। संगीता उर्फ ज्योति मदनलाल के यहा गेलड संतान के रूप मे रही इस कारण संगीता उर्फ ज्योति को मदनलाल की सम्पत्ति मे कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। मदनलाल के देहान्त के बाद उक्त भूमि के खातेदार कानून की रूह से बाबूलाल हो गये और बाबूलाल के देहान्त के पश्चात अपीलांट होते है ऐसी स्थिति मे इंतकाल अपीलांट के नाम तस्दीक किया जाना चाहिये था। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे भी जेरअपील आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। पटवारी एवं तहसीलदार की जांच रिपोर्ट मे संगीता उर्फ ज्योति मदनलाल की पुत्री नही होने से मदनलाल की वारिस नही होना अंकित है। विवादित भूमि पर अपीलांटस का कब्जा है नामान्तरकरण कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है जिसके द्वारा वारिसान के संबध मे विवाद को तय नही किया जा सकता ऐसे विवाद दिवानी न्यायालय ही तय कर सकते है। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 4.7.2017 अपास्त किया जाकर ग्राम ख्यावदा मे विस्थित विवादित भूमि मे मदनलाल के स्थान पर अपीलांट के नाम नामान्तरकरण खोलने का आदेश पारित करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा प्रकट किया कि मदनलाल के कोई संतान नही थी ऐसी स्थिति मे बाबूलाल ही मदनलाल की सम्पत्ति का वारिस है। मदनलाल का देहान्त 6.5.80 तथा बाबूलाल का दिनांक 30.9.13 को हुआ है। जांच रिपोर्ट मे संगीता को मदनलाल की पुत्री होना किसी ने भी नही बताया है। अपीलांट को कोई सूचना व सुनवाई का अवसर नही दिया। केम्प के दिन 4.30 बजे अपीलांट ने सुनने का अनुरोध किया किन्तु अपीलांट को कोई अवसर नही दिया ना ही अपीलांट के साक्ष्य सबूत पेश करने व जिरह का अवसर दिया गया एक ही पेज पर सभी गवाहान के ब्यान लिये गये। संगीता का मदनलाल की पुत्री होने का विवाद नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही मे तय नही किया जा सकता। घोषणा का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बूंदी मे लम्बित है जिसकी सूचना तहसीलदार को दी गई थी। हिन्दू लॉ के अनुसार विवादित आराजी का वारिस बाबूलाल है। संगीता, मदनलाल की पुत्री नही है। मदनलाल की सेकेण्ड महिला के साथ गेलड आयी थी। अतः उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय दिनांक 4.7.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ने अपनी बहस मे बताया कि उपखण्ड अधिकारी बूंदी के यहा घोषणा का दावा पेन्डिग होने संबधी कोई दस्तावेज अपीलांट द्वारा पेश नही किये है अतः समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे यह पार्टी है या नही स्पष्ट नही होता है। अपीलांट का यह कथन की मदनलाल आलौद फौत हुआ है तथा दूसरी महिला के साथ रेस्पो0 क्रम–1 गेलड आयी है आधारहीन है। वोटर लिस्ट मे केलाशी बाई मदनलाल की पत्नी होना अंकित है। बाबूलाल सरंक्षक के रूप मे है। मदनलाल की मृत्यु के बाद रेस्पो0 क्रम–1 की शादी बाबूलाल द्वारा की गई। शिकायत के बाद रिपोर्ट आयी है। नाना और मामा के बयान है जिससे रेस्पो0 क्रम–1 का मदनलाल की पुत्री होने की पुष्टि होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने

समुचित तथ्यो का अवलोकन कर जेरअपील आदेश पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अतः अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। तहसीलदार बूंदी द्वारा केम्प ख्यावदा मे खसरा नम्बर 163, 449, 581 व 781/597 मृतक खातेदार बाबूलाल के स्थान पर भारत, बृजगोपाल, विष्णु, आशीष पुत्रान बाबूलाल, प्रवेश अनिता, मीनाक्षी पुत्रिया बाबूलाल व कान्तीबाई पत्नी बाबूलाल जाति छीपा सा0 केशोराय पाटन व संगीता उर्फ ज्योति पुत्री मदनलाल के नाम हिस्सा 1/2–1/2 दर्ज करने का दिनांक 4.7.2017 पारित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट्स का मुख्य तर्क है कि तहसीलदार द्वारा जेरअपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई का अवसर नही दिया जबकि अपीलांट्स ने विवादित आराजी का इन्तकाल खोलने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ था तथा अपीलांट ने पूर्व मे भी एक प्रार्थना पत्र संगीता उर्फ ज्योति मदनलाल की पुत्री नही होने और एक वाद उपखण्ड अधिकारी बूंदी के यहां अधिकार घोषणा एंव इन्द्राज दुरूस्ती का प्रस्तुत किया हुआ होने बावत पेश किया हुआ था किन्तु तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र पर कोई सुनवाई नही कर एक तरफा आदेश पारित कर दिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से अपीलांट के उपरोक्त तर्क की पुष्टि होती है। तहसीलदार बूंदी ने जेरअपील निर्णय दिनांक 4.7.2017 पारित करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस जारी कर सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नही किया तथा ना ही अपीलांट बृजगोपाल द्वारा दिनांक 4.7.2017 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोई गौर किया। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। फलत् अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय दिनांक 4.7.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किये जाने योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 4.7.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि अपीलांट एवं रेस्पो0 क्रम–1 को विधिवत सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

7 निर्णय आज दिनांक 1.2.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा